फर्द अहकाम

(नियम. 26)

अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

महावीर —बनाम— स्टेट, भंवरसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा : अपील सं. 112/2025 अंतर्गत धारा– 75(1)बी एल.आर. एक्ट
(जीसीएमएस संख्याः 2025/).

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.6.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 18.03.2025 अंतर्गत धारा 14(4) राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रथमतः अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पारित निर्णय दिनांक 18.03.2025 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.03.2025 राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अंतर्गत पारित है, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर संबंधित राजस्व अपील प्राधिकारी को प्राप्त है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकल पीठ के आदेश दिनांक 03.01.2025 मुकदमा नंबर 2024/9503 अनवान बन्नेसिंह बनाम जीतादेवी व अन्य में शिकायत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पारित निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी को होने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार बिन्दु पर खारिज की जाती है। (डॉ. रवि कुमार सुरपुर) संभागीय आयुक्त, बीकानेर	